भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 1909

उत्तर देने की तारीख : 11.12.2025

एमएसएमई की ऋण और पूंजी उपलब्धता को सुदृढ़ बनाना

1909. श्री हँसमुखभाई सोमाभाई पटेल:
श्री मितेश पटेल बकाभाई:
श्री विष्णुदयाल राम:
श्री नारायण तातू राणे:
श्रीमती डी. के. अरुणा:
श्री रोडमल नागर:
डॉ. संजय जायसवाल:
श्री चन्द्र प्रकाश जोशी:
श्री आशीष दुबे:

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) हाल ही में लागू किए गए सुधारों और वित्तीय योजनाओं का जो छोटे, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के लिए ऋण और इक्विटी, पूंजी उपलब्धता को मजबूत करने के लिए हैं का और आत्मनिर्भर भारत पैकेज और क्रेडिट गारंटी योजना का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त तंत्रों के माध्यम से सक्षम किए गए अतिरिक्त क्रेडिट की मात्रा और इसके तहत लाभान्वित उद्यमों की संख्या कितनी है;

(ग) गारंटी कवरेज का विस्तार करने और सूक्ष्म व लघु उद्यमों के लिए गारंटी रहित वित्तपोषण को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) क्या सरकार ने इन वित्तीय हस्तक्षेपों की एमएसएमई की उत्पादकता और प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने में प्रभावकारिता का मूल्यांकन करने के लिए निगरानी प्रणाली विकसित की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा करांदलाजे)

(क) से (ग): सरकार ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) की क्रेडिट और इक्विटी तक पहुँच सुदृढ़ करने के लिए निम्न सहित अनेक उपाय किए हैं:

i. कोविड-19 महामारी द्वारा उत्पन्न व्यवधान के कारण पात्र एमएसएमई और व्यापार उद्यमों को उनकी प्रचालन देयताओं को पूरा करने में सहयोग प्रदान करने के लिए आत्मनिर्भर भारत पैकेज के भाग के रूप में, मई, 2020 को इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम (ईसीएलजीएस) की शुरुआत की गई। यह स्कीम दिनांक 31.03.2023 तक प्रचालन में थी। वित्तीय सेवाएं विभाग (डीएफ़एस) की रिपोर्ट के अनुसार, ईसीएलजीएस के तहत, इसकी शुरुआत से दिनांक 31.03.2023 तक, 2.42 लाख करोड़ रुपए की राशि को कवर करते हुए एमएसएमई को कुल 1.13 करोड़ गारंटियाँ प्रदान की गई।

ii. एमएसएमई मंत्रालय सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए ऋण गारंटी ट्रस्ट फंड (सीजीटीएमएसई) के माध्यम से एमएसई के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम (सीजीएस) क्रियान्वित करता है ताकि सदस्य ऋणप्रदाता संस्थानों (एमएलआई) द्वारा नए और मौजूदा एमएसई को दिए गए ऋणों (दिनांक 01.04.2025 से 10 करोड़ रुपए तक के ऋणों के लिए संशोधित) के लिए क्रेडिट गारंटी प्रदान की जा सके। स्कीम का दायरा बढ़ाने और एमएसई की क्रेडिट तक अधिक पहुँच सुनिश्चित करने के लिए, सीजीएस को दिनांक 01.04.2023 से पुनर्गठित किया गया है, इसके पश्चात सीजीटीएमएसई के कोष में 9,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त निवेश किया गया है। इसके अतिरिक्त, वार्षिक गारंटी फीस (एजीएफ़) की निर्धारित दर को प्रतिवर्ष 50% से घटाकर, कम से कम 0.37% कर दिया गया है। वर्ष 2000 में इसकी शुरुआत से दिनांक 30.11.2025 तक, 11.85 लाख करोड़ रुपए की राशि को कवर करते हुए 1.31 करोड़ क्रेडिट गारंटियाँ अनुमोदित की गई है।

iii. एमएसएमई में इक्विटी फंडिंग के रूप में 50,000 करोड़ रुपए का निवेश करने के उद्देश्य से आत्म निर्भर भारत (एसआरआई) कोष की स्थापना की गई है जिसमें भारत सरकार से 10,000 करोड़ रुपए और निजी इक्विटी/वेंचर कैपिटल फंड के माध्यम से 40,000 करोड़ रुपए का प्रावधान है। वर्ष 2021 में इसकी शुरुआत से दिनांक 30.11.2025 तक, 15,442 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करते हुए 682 एमएसएमई को सहायता प्रदान की गई है।

iv. प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, गैर-कृषि क्षेत्र में विनिर्माण क्षेत्र के लिए 50 लाख रुपए और सेवा उद्यमों के लिए 20 लाख रुपए की परियोजना लागत के साथ, नए उद्यमों की स्थापना के लिए 35% तक मार्जिन मनी सब्सिडी प्रदान करता है।

v. पीएम विश्वकर्मा स्कीम दिनांक 17.09.2023 को अपने हाथों और औजारों से काम करने वाले 18 व्यवसायों के कारीगरों और शिल्पकारों को संपूर्ण सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई थी। स्कीम में 3 लाख रुपए तक के ऋण पर अधिकतम 8% के ब्याज सब्वेंशन का प्रावधान शामिल है।

(घ): एमएसएमई मंत्रालय अपनी स्कीमों के क्रियान्वयन की स्थिति का पता लगाने और उनके कार्यनिष्पादन का निर्धारण करने के लिए नियमित आधार पर समीक्षा बैठकों का आयोजन करता है। साथ ही मंत्रालय फीडबैक और आवश्यक नीतिगत इंटरवेंशनों के लिए नियमित आधार पर, यथा आवश्यकता, हितधारकों के साथ परामर्श भी करता है। हाल ही में, इस दिशा में, मंत्रालय की सभी मुख्य स्कीमों के साथ एपीआई के माध्यम से एकीकृत एमएसएमई डैशबोर्ड को लॉंच किया गया है।

*****